

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-42/09

/कृ०, पटना, दिनांक

, 2014.

प्रेषक,

**धर्मेन्द्र सिंह, मा०प्र०से०**  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री शहनवाज शकील,  
मेसर्स एग्रीमास केमिकल्स लिमिटेड,  
द्वारा-कृष्णा सीड्स,  
H/O डा० विपीन बिहारी, अपोजिट संतोष अपार्टमेन्ट,  
डाक बंगला रोड, पटना।

विषय :-

**कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 19-20 दिनांक 29.10.2009 वैद्यता तिथि 31.12.2014 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित कीटनाशियों का अनुज्ञप्ति संख्या-19-20 दिनांक 29.10.2009 वैद्यता तिथि 31.12.2014 के अन्तर्गत इन्डोर्समेन्ट तक किया जाता है।

क्र० सं०	कीटनाशी का नाम	वैद्यता तिथि
1	Hexaconazole 5% SC	31.12.2014
2	Indoxacarb 14.5% SC	31.12.2014
3	Propineb 70% WP	31.12.2014
4	Profenophos 50% EC	31.12.2014
5	Thiodicarb 75% WP	31.12.2014
6	Tricyclazole 75% WP	31.12.2014
7	Metsulfuron Methyl 20% WP	31.12.2014
8	Cartap Hydrochloride 50% SP	31.12.2014
9	Imidacloprid 17.8% SL	31.12.2014
10	Imidacloprid 70% WS	31.12.2014
11	Validamycin 3% L	31.12.2014
12	Dichlorovos 76% EC	31.12.2014
13	Dicofol 18.5 % EC	31.12.2014
14	Cartap Hydrochloride 4 G	31.12.2014
15	Sulfosulfuron 75% WG	31.12.2014
16	Cypermethrin 25% EC	31.12.2014
17	2,4-D Ethyl Ester 38% EC	31.12.2014
18	Thiophanate Methyl 70% WP	31.12.2014
19	Fipronil 0.3% GR	31.12.2014
20	Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG	31.12.2014
21	Oxyfluorfen 23.5% EC	31.12.2014
22	Deltamethrin 1%+Triazophos 35% EC	31.12.2014
23	Cymozanil 8%+Mancozeb 64% WP	31.12.2014

2-उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स एग्रीमास केमिकल्स लिमिटेड, द्वारा-श्रीमती कृती कुमारी, पत्नी-श्री प्रदीप कुमार बड़ी पहाड़ी, पटना-800007

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

